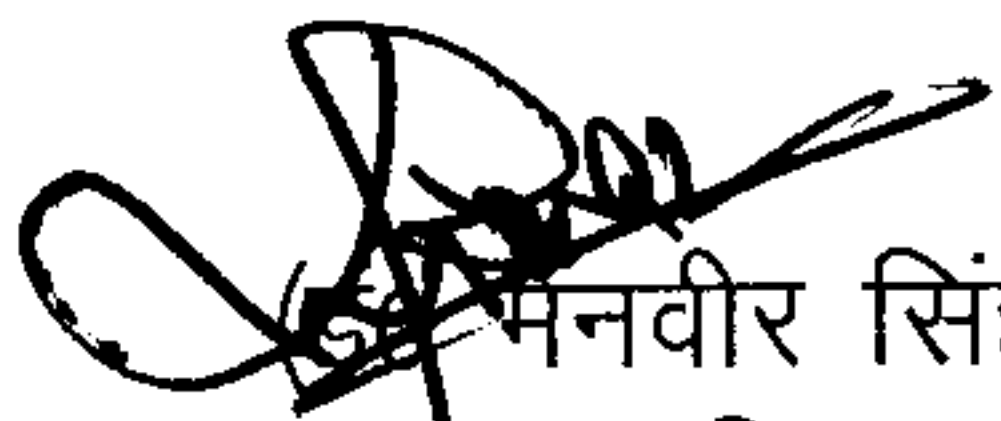
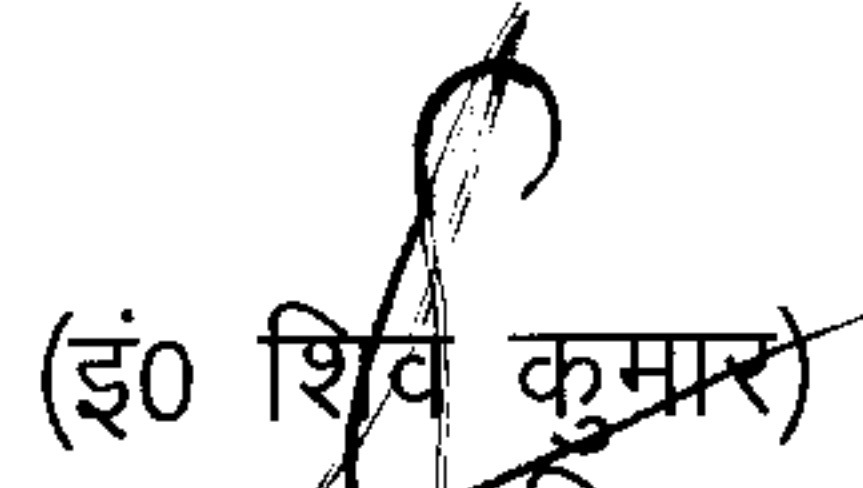


वन भूमि की मांग न्यूनतम होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागपत द्वारा मेरठ—बागपत मार्ग के किमी० 71 में हिन्दन नदी पर प्रस्तावित सेतु के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु कुल क्षेत्रफल 1.215 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी कार्य के लिये प्रयोग की जायेगी। उक्त वन भूमि की मांग न्यूनतम है तथा संरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।



(इ० मनवीर सिंह)
अवर अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
बागपत।



(इ० शिव कुमार)
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
बागपत।



(इ० बालेन्द्र)
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
बागपत।

FORM-1

(For Liner Projects)

Office of the District Magistrate, Meerut

No. 1450/..

10 C

Date....26/8/2015

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No. 01-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ("FRA", for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposed read with MOEF'S letter dated 5th February 2013 and 11-9/98-fc(pt) dated 28th Oct. 2014 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear project, it is certified that 0.335 Hectares of forst land proposed to be diverted in favour of P.D., P.W.D. Baghpat for Construction of Approach Road of Hindon Bridge at Balaini falls within jurisdiction of 01 village- Haria Khera in Baghpat Tehsil at Baghpat, Baghpat Road Km. 70

It is further certified that the forst land proposed was notified as "forest" on 10-02-1960 which is less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in village- Haria Khera having no recored population of Scheduled Tribes as per census 2001 and Census 2011.

प्रमागीय वनाधिकारी
बागपत वन प्रभाग
बागपत

District Magistrate
Baghpat

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

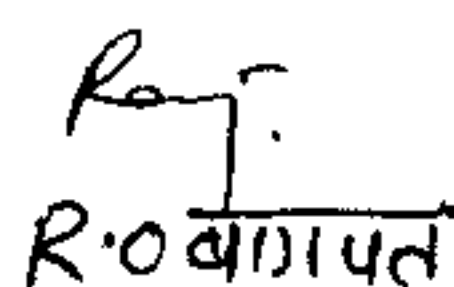
जनपद बागपत/ मेरठ में प्रा०खण्ड, लो०नि०वि०, बागपत द्वारा वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण आज दिनांक 10.06.2015 को श्री राजेश कुमार उपराजिक, प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी बागपत एवं प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागपत के प्रतिनिधि श्री मनवीर सिंह अवर अभियंता द्वारा किया गया। उक्त पहुंच मार्ग हेतु प्रस्तावित 1.215 हे० लो०नि०वि० के स्वामित्व वाली संरक्षित वन भूमि की मांग अपरिहार्य एवं न्यूनतम है। उक्त पहुंच मार्ग जनपद बागपत व मेरठ में है परन्तु लोक निर्माण विभाग बागपत एवं वन विभाग बागपत के कार्य क्षेत्र में आता है। प्रस्तावित वन भूमि पर पहुंच मार्ग बनाया जाना अति आवश्यक है। अतः परियोजना में बाधक वृक्षों का कटान कराया जाना अपरिहार्य है। उन्हें याची विभाग/प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मौके पर कोई भी कार्य नहीं कराया गया है। अतः वन सुरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

प्रस्तावित वन भूमि का आंकलन निम्नवत् है।

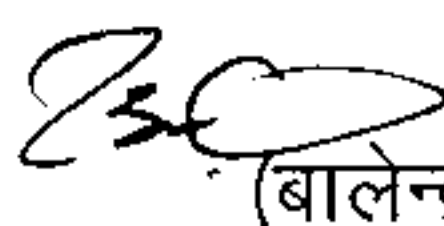
क्र०सं०	पहुंच मार्ग का विवरण		क्षेत्रफल (वर्ग मी० में)
	(A) Distt. Meerut (Village Dhilora)	451.00× 19.45 मी०	8771.45 वर्ग मी०
	(B) Distt. Baghpat (Village Hariya khera)	223.00×15.15	3378.45 वर्ग मी०
	कुल क्षेत्रफल	(A+B)	12150.40 वर्ग मी०
		या	1.215 हे०



(मनवीर सिंह)
अवर अभियंता,
प्रा०खण्ड, लो०नि०वि०,
बागपत।



(शिव कुमार)
सहायक अभियंता,
प्रा०खण्ड, लो०नि०वि०,
बागपत।



(बालेन्द्र)
अधीक्षक अभियंता,
प्रा०खण्ड, लो०नि०वि०,
बागपत।



()
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बागपत।

राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव विहार के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागपत/मेरठ में प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागपत द्वारा जनपद प्रस्तावित पुल तक एप्रोच मार्ग निर्माण हेतु वांछित 1.215 हे० लो०नि०वि० के स्वामित्व वाली संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु भेजे जा रहे प्रस्ताव में प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि के राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव विहार क्षेत्र 10 कि०मी० की परिधि से बाहर है।


R.O. बागपत


प्रभागी निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बागपत।

“वन स्वरूप क्षेत्र” सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागपत/मेरठ में प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागपत द्वारा जनपद प्रस्तावित पुल तक एप्रोच मार्ग निर्माण हेतु वांछित 1.215 हे० लो०नि०वि० के स्वामित्व वाली संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु भेजे जा रहे प्रस्ताव में 1.215 हे० संरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त चिन्हित “वन स्वरूप क्षेत्रों” की कोई भूमि सम्मिलित नहीं है।


R. O. काशाल

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बागपत।

**मेरठ-बागपत मार्ग किमी 0 71 में हिन्दन नदी पर प्रस्तावित सेतु के सम्पर्क
मार्ग के निर्माण में आने वाले बाधक वृक्षों का सारांश**

क्र० सं०	प्रजाति		व्यासवर्ग					योग
	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	1-2	2-3	3-4	4-5	7-8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ज्यूलीफ्लोरा	<i>Prosopis juliflora</i>	1	3	6	10	0	20
2	खैर	<i>Acacia catechu</i>	1	0	0	0	0	1
3	जॉड (छेंकर)	<i>Prosopis cineraria</i>	0	0	1	0	0	1
4	पीपल	<i>Ficus Religiosa</i>	0	1	0	1	1	3
5	बबूल	<i>Acacia catechu</i>	0	1	0	0	0	1
6	शीशम	<i>Dalbergia Sissoo</i>	0	0	1	0	0	1
7	बकैन	<i>Melia azetarach</i>	0	2	0	0	0	2
8	पिलखन	<i>Ficus Rumphil</i>	0	1	0	0	0	1
योग			2	8	8	11	1	30

क्षेत्रीय वनाधिकारी,
बागपत।

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागपत वन प्रभाग,
बागपत।